

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>हीराराम मेघवाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, बालेसर)</b>  सू.अ.अ. अपील संख्या : 66 / 2022</p>	<p>नं0 व तारीख  अहकाम जो  इस हुकम की  तामील में  जारी हुए</p>
<p>08.04.2022</p>	<p>अपीलार्थी हीराराम मेघवाल पुत्र रामचंद्र मेघवाल, निवासी ग्राम आगोलाई, प.स. बालेसर, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.02.2022 में उसके द्वारा राजस्व ग्राम आगोलाई में निवासी घेवरपुरी पुत्र तेजपुरी जाति स्वामी खसरा 1145/1 0.07 आवासीय मानी 600 व.मी. तहसीलदार शेरगढ के आदेश क्रमांक राजस्व/श्रम/2के1/146-147 दिनांक 17.05.2000 की पालना में राजकीय भूमि संपरिवर्तन आदेश का नाम क. भरकर कस्ते जांच एवं निर्णय पेश है किस आधार व नियम से एलोटमेंट किया, की समस्त प्रमाणित प्रतिलिपि एवं (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

